कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) सागर, जिला सागर म.प्र.

कं./941 /खाद्य–लेखा/19 सागर, दिनांक 09.10.2019

// निविदा सूचना //

संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, विभाग भोपाल के पत्र कमांक–7331/एंड टू एंड/बजंट/2019 दिनांक 19.09.2019 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अंतर्गत सम्मलित जिला सागर के 4,11,161 परिवारों की पात्रता पर्ची का सत्यापन किया जाना हैं, शासन से सूची प्राप्त होने के पश्चात् जिले के विकासखंडो के अंतर्गत संचालित शासकीय उचित दुकानों में सम्बद्ध परिवारों की पात्रता पर्ची सूची के प्रिंट–आउट (दोनो तरफ) कार्यालय में ही मशीन स्थापित कर निकाले जाने हैं। निविदा शर्तो के अधीन दिनांक 30.10.2019 को समय 3:00 बजे तक खाद्य शाखा सागर में सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निविदाकार खाद्य कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर सागर से निर्धारित शुल्क 100 रू. जमा कर निविदा प्रारूप प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त निविदाए दिनांक 30.10.2019 की तिथि के अगले कार्य दिवस में 3:00 बजें जिला स्तर पर गठित समिति एवं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी। निविदाकार चाहे तो स्वंय या उसके प्रतिनिधि रह सकते हैं। निविदा की शर्ते एवं विस्तृत जानकारी कार्यालयीन कार्य दिवसों में खाद्य कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर से प्राप्त की जा सकती हैं। निविदा की विस्तृत जानकारी www.sagar.nic.in पर देखी जा सकती हैं।

निविदा शर्ते

1. सफल निविदाकर को पात्र परिवारों की सूची का प्रिंट–आउट खाद्य कार्यालय में स्वंय की संसाधन / मशीन आदि लगाकर अधिकारी के समझ निकालना सुनिश्चित करेगें। जिसके लिए कोई पृथक से राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा। निकाला जाने वाला प्रिंट–आउट एक पृष्ठ पर दोनों ओर रहेगा। इसी के अनुसार दरें प्रस्तुत की जायें।
2. निविदा निर्धारित प्रपत्र में होनां आवश्यक होगा। खाद्य कार्यालय सागर से निर्धारित शुल्क 100.00 रू. जमा कर निविदा फर्म प्राप्त किया जा सकता हैं।
3. निविदाकार को आयकर विभाग से जारी पेन नंबर एवं जीएसटी नंबर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा एवं विभाग से पूर्ण भुगतान नो–डियूज का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
4. निविदा में प्रस्तुत की जाने वाली दरे सभी टैक्स सहित होना चाहिए।
5. निविदाकार को जिला स्तरीय समिति द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्ण पालन करना अनिवार्य होगा। यदि उनके द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो निविदा अस्वीकृति की जाकर जमा की गई अमानत राशि शासनपक्ष में राजसात की जावेगी तथा उनके द्वारा किए गए कार्यो का कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
6. स्वीकृत न्यूनतम निविदा दर निविदा स्वीकृति दिनांक से 01 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।
7. निविदा स्वीकृत / अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार जिला स्तरीय समिति को रहेगा एवं उनका निर्णय अंतिम रहेगा। उनके निर्णय के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकेगा।

(कलेक्टर महो. द्वारा आदेशित)

जिला आपूर्ति नियंत्रक
जिला सागर

पृ.क्रं./ ७५१ /खाद्य–लेखा/19 सागर, दिनांक 09.10.2019

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक विज्ञापन शाख जनसंपर्क संचालनालय बाणगंगा रोड भोपाल की ओर सूचनार्थ। कृपया उक्त निविदा निशुल्क समाचार पत्रों में प्रकाशित कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
3. आयुक्त, सागर संभाग, सागर की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर (सर्व) म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
5. जिला सूचना विज्ञान केन्द्र अधिकारी सागर की ओर सूचनार्थ। उक्त निविदा सूची जिले की बेबसाइड www.sagar.nic.in पर अपलोड करने हेतु।
6. सहायक संचालक जनसंपर्क सागर की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशनार्थ।
7. जिला नाजिर सागर कार्यालय सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

जिला आपूर्ति नियंत्रक
जिला सागर